



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

7. सरदार पटेल मार्ग पटना-15

CIN-U45201BR1975SG001208



ISO:9001:2015

Reg.no.:1017QFH01

Doc. No:- BRPNNL/HQA//.....10.5...	Dt	Page No..../.....
--	----------	-------------------

॥ कार्यालय आदेश ॥

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-7443 दिनांक 30.06.2011 की कंडिका 2 की उप कंडिका 5 तथा अधिसूचना सं०-3295 दिनांक 20.01.2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत निगम में कार्यरत नियमित स्थापना के समूह 'घ' के इण्टर उत्तीर्ण/समकक्ष योग्यता रखने वाले कर्मियों को अधिकृत बल का 15 प्रतिशत पद पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति देने का निर्णय के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति देने हेतु गठित समिति की दिनांक 14.05.2018 को की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित समूह 'घ' के कर्मियों में इण्टर उत्तीर्ण निम्नलिखित कर्मियों को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान 5200-20200/- एवं ग्रेड पे 1900/- में आदेश निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्र०स०	कर्मचारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	श्री अजय कुमार आदेशपाल/चौकीदार	स्थापना शाखा, मुख्यालय	
2	श्री विजय कुमार आदेशपाल/चौकीदार	विशेष कार्य प्रमण्डल, चकिया	
3	श्री शम्भू कुमार आदेशपाल/चौकीदार	स्थापना शाखा, मुख्यालय	
4	श्री शैलेश कुमार सिंह आदेशपाल/चौकीदार	कार्य प्रमण्डल आरा	
5	श्री शिवजी प्रसाद प्रयोगशाला सेवक	गुण नियंत्रण कोषांग, पटना	
6	श्री विजय कुमार आदेशपाल/चौकीदार	कार्य प्रमण्डल मुजफ्फरपुर	

2. यह प्रोन्नति पूर्णतः औपबन्धिक है तथा किसी भी समय अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक महीना पूर्व सूचना पर या एक महीना अग्रिम वेतन देने पर उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी०नं०-29770/2015 बिहार सरकार बनाम मुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

जापांक ...1616

पटना दिनांक ...04/06/18

प्रतिलिपि:- सभी उप मुख्य अभियंता/अध्यक्ष-सह-उप मुख्य अभियंता, प्रोन्नति समिति/सचिव (योजना एवं प्रशासन)/वित्तीय सलाहकार-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी/सभी वरीय परियोजना अभियंता/सभी वरीय निरूपण अभियंता/वरीय योजना अभियंता/वरीय गुण नियंत्रण अभियंता/प्रभारी सचिव (कम्पनी-कार्य)/सचिव (प्रशा०-अप्रा०)/लेखा पदाधिकारी/बेवसाईट प्रभारी/संबंधित कर्मचारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

04.06.18